

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 135/18

अनवान :

हिम्मतसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

—वादी

बनाम

1. सुरजाराम(सुरजा) पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. विमला पत्नि पुर्णमल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. मांगीलाल पुत्र स्व० पुर्णमल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. नेमदत्त पुत्र स्व० पुर्णमल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. गोमती पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना पत्नि जीताराम हाल आबाद खारेकां तहसील सिरसा।
6. सन्तोष पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना पत्नि गुरुमुख हाल आबाद फेफाना तहसील नोहर।
7. दुर्गा पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना पत्नि जसवन्त हाल आबाद फेफाना तहसील नोहर।
8. ओ बी सी नेठराना जरिये शाखा प्रबंधक नेठराना।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अनुतोष अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प डोबी में वकीलवादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 NTR के खाता सं० 232/210 की कुल 6.072 है० नहरी-बारानी मय रास्ता तथा इसी चक 5 NTR के खाता संख्या 234/101 की कुल 4.301 है० नहरी-बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम(सुरजा) का नाम कलमजन कर वादी 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सुयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा बहिब खातेदारी दर्ज रिकार्ड की जावे। प्रतिवादी सं. 1 व 5 ता 7 ने वाद भूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री दिनांक 15 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की जायेगी।



(राजकुमार कस्वा)

उपखण्ड अधिकारी R.A.S.